

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :- 78/2021

अर्पणा बनाम रामावतार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
09.07.2024	पत्रावली पेश हुई। वादीया अधिवक्ता हाजिर। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दावा स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। इसके साथ संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। 31 उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	